



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012026-269568
CG-DL-E-24012026-269568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947

No. 322]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 350(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	निदेशक (रेशम उत्पादन), रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एल.डी.ए. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गोमतीनगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति पर नामित
2.	श्री प्रदीप कुमार, निदेशक (रेशम उत्पादन), रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार, प्रेमनगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के तहत उत्तराखण्ड सरकार की संस्तुति पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-सिल्क]

पदमिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2026

S.O. 350(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following Officers to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Director (Sericulture), Directorate of Sericulture, Govt. of Uttar Pradesh, L.D.A. Commercial Complex, Gomtinagar, Lucknow (Uttar Pradesh)	Nominated on the recommendation of Govt. of Utter Pradesh under Section 4(3) (g) of the Act.
2.	Shri Pradeep Kumar Director (Sericulture), Directorate of Sericulture, Govt. of Uttarakhand, Premnagar, Dehradun (Uttarakhand)	Nominated on the recommendation of Govt. of Uttarakhand under Section 4(3) (g) of the Act.

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.